प्रतिलिपि आदेश दिनांक 17-6-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्र०क्र० अभ्यावेदन प्र०क्र० 96०-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 7-1-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर प्र०क्र० 28/अ-70/07-08.

बाबूलाल खरे तनय श्री लाल जी सहाय खरे
निवासी बेनीसागर मोहल्ला पन्ना --- आवेदक

विरूद्ध

1- रामसेवक खरे पिता द्वारका प्रसाद खरे

निवासी बेनीसागर मोहल्ला पन्ना

अन्य-5 --- अनावेदकगण

H

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

अभ्यावेदन प्रकरण कमांक : 960/ III/2014 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक के हस्ता.
17.6.2014	यह अभ्यावेदन अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 28 अ 70/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 7–1–14 के विरूद्व म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 18 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 7–1–14 के परिप्रेक्ष्य में म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 18 का अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है :– कंडिका 18 – अभ्यावेदन –– राज्य शासन के अधीनस्थ अधिकारी व्दारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व नीचे दिये गये तरीके से अभ्यावेदन या आवेदन किया जा सकेगा –– (एक). कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारी या नजूल अधिकारी व्दारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व कलेक्टर को – (दो). कलेक्टर व्दारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व आयुक्त को । (तीन). आयुक्त व्दारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व राज्य शासन को । उपरोक्त से स्पष्ट है कि म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 18 के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन सुनवाई हेतु क्षेत्राधिकार में न होने से अग्राह्य है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे। (हस्ताक्षर) सदस्य	(हस्ताक्षर) 17-6